


10/07/2024:-पत्रावली पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वकील प्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार पुनः नये सिरे से दावा लगाने के लिए स्वतंत्र रहेगे। आदेश सुनाय गया।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

